

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा०पत्र संख्या -
निर्णय दिनांक-

42 / 2021
09.04.2021

उनवान

प्रहलाद पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोक

- प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोक

- प्रतिपक्षी

- प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम
उपस्थित:- श्री प्रेम चन्द जैन वकील प्रार्थी


निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थीके संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 240 रकबा 0.34, ख०न० 700/122 रकबा 0.07, ख०न० 702/123 रकबा 0.06, ख०न० 705/237 रकबा 0.14, ख०न० 706/237 रकबा 0.10, ख०न० 709/318 रकबा 0.49, ख०न० 711/704 रकबा 0.34 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम कचरावता एवं खाता संख्या 53 ख०न० 375/354 रकबा 0.82 है वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी के पडोसी काशतकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते हैं। जिससे आए दिन विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की सीमाएं बिगडी हुई है। उक्त भूमि का पुलिस की मौजूदगी में दुबारा सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीकी अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 240 रकबा 0.34, ख०न० 700/122 रकबा 0.07, ख०न० 702/123 रकबा 0.06, ख०न० 705/237 रकबा 0.14, ख०न० 706/237 रकबा 0.10, ख०न० 709/318 रकबा 0.49, ख०न० 711/704 रकबा 0.34 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 है० वाके ग्राम कचरावता एवं खाता संख्या 53 ख०न० 375/354 रकबा 0.82 है वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।




उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया। प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 240 रकबा 0.34, ख0न0 700/122 रकबा 0.07, ख0न0 702/123 रकबा 0.06, ख0न0 705/237 रकबा 0.14, ख0न0 706/237 रकबा 0.10, ख0न0 709/318 रकबा 0.49 , ख0न0 711/704 रकबा 0.34 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम कचरावता एवं खाता संख्या 53 ख0न0 375/354 रकबा 0.82 है वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 240 रकबा 0.34, ख0न0 700/122 रकबा 0.07, ख0न0 702/123 रकबा 0.06, ख0न0 705/237 रकबा 0.14, ख0न0 706/237 रकबा 0.10, ख0न0 709/318 रकबा 0.49 , ख0न0 711/704 रकबा 0.34 कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम कचरावता एवं खाता संख्या 53 ख0न0 375/354 रकबा 0.82 है वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा का प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



सुश्री रजनी मीणा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड उनियारा
जिला टोंक